राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी(श्री उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.)

अपील संख्या–62 / 2023 दायर दिनांक–06.09.2023

–:उनवान:–

1. रामरज पुत्र श्री धनसुख निवासी बालाखेडा तहसील नादोती जिला गंगापुर सिटी (राज0)
2. हरिसिंह पुत्र मूला निवासी बालाखेडा तहसील नादोती जिला गंगापुर सिटी।
3. पुष्पेन्द्र उर्फ पिन्टू पुत्र हरिसिंह निवासी बालाखेडा तहसील नादोती जिला गंगापुरा सिटी।

––अपीलांटस

–:बनाम:–

1. केशन्ती पत्नि चतरसिंह जाति गुर्जर, निवासी बालाखेडा तहसील नादोती जिला गंगापुरसिटी।
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील नादोती जिला गंगापुर सिंटी।
3. सब रजिस्टार नादोती जिला गंगापुर सिटी।

––रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय दिनांक 02.08.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती

उपस्थित:–
1. श्री इंसाफ अली अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अधिवक्ता रेस्पो अनुपस्थित

–:निर्णय:– दिनांक:–23.01.2024

1. उपरोक्त उनवानी अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला गंगापुरसिटी के निर्णय दिनांक 02.08.2023 से असंतुष्ट होकर निम्न कारणों के साथ इस न्यायालय में पेश की है। यह कि, रेस्पो0 कमांक 1 ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उसके मद कमांक 2 में भी स्वीकार किया है। खाता संख्या 17 खसरा नम्बर 46 रकबा 0.4300 है0, खसरा नम्बर 46 रकबा 0.4300 है0, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.007 है0 कुल किता दो कुल रकबा 0.5000 है0, ग्राम बालाखेडा तहसील नादौती जिला करौली में स्थित आराजीयात पर अपीलांट कमांक 1 एवं रेस्पो0 का 1/2 हिस्सा है जो रिकार्ड दर्ज है। इस प्रकार रेस्पो0 कमांक 1 का यह कहना कि सम्पूर्ण भूमि बाहमी मौखिक बॅटवारे के आधार पर उसके हिस्से में आयी है। गलत व मनगढत है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में लिखित इबारत पर ध्यान न देकर तहत न्यायालय ने गलत निर्णय पारित किया है। तहत न्यायालय द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा के आज्ञापक सिद्धान्तों की पालना न करते हुये हमें गलत रूप से पाबन्द किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय के आदेश का निरस्त फरमाया जाये।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट की तलबी की गई, परीक्षण न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। रेस्पो0 अधिवक्ता बाद सूचना भी अनुपस्थित।

3. दौराने बहस अपीलांटस के योग्य अधिवक्ता श्री इंसाफ अली ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट व रेस्पो0 मौके पर काबिज सह खातेदार है। हम अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर रेस्पो0 से पूर्व से ही काबिज है। सह खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। तहत न्यायालय द्वारा गलत आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जावे।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया, विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं इस न्यायालय की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

5. प्रकरण में प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 46 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.07 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.50 है0 ग्राम बालाखेडा तहसील नादौती जिला करौली में अपीलांट व रेस्पो0 सहखातेदार है। सहखातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित नही है। प्रश्नगत आराजी में सहखातेदार होने के कारण अपीलांट के पक्ष में प्रकरण का प्रथम दृष्टया बनना अपीलांट के पक्ष में पाया जाता है। यहाँ यह भी तथ्य है, कि अपीलांट रेस्पो0 से पूर्व ही बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है, जबकि रेस्पो0 द्वारा भूमि कय की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

6. प्रश्नगत आराजी में अपीलांट को अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग में यदि रोका जाता है, तो उसे क्षति होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में पाया जाता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.2023 अपास्त किया जाता है।

6. निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो, एवं नम्बर से कम की जावे।

23/01/2024

(रामेश्वरलाल मीना)
आर.ए.एस
राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाईमाधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी, सवाई माधोपुर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते